

न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी- आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. -73ए/16
संस्थित दिनांक - 12.05.2010

- 1- महेश कुमार पुत्र श्यामलाल जाति ब्राम्हण लिटौरिया,
उम्र 66 साल निवासी ढोलिया दरवाजा
तहसील चंदेरी जिल- अशोकनगर म0प्र0

..... वादी

विरुद्ध

1. अनिल कुमार पुत्र बृजनन्दन जाति ब्राम्हण लिटौरिया उम्र 56 साल
2. बृजनन्दन पुत्र श्यामलाल जाति ब्राम्हण लिटौरिया उम्र 76 साल
सभी निवासीगण ढोलिया दरवाजा तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0
3. मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जिलाधीश
जिला-अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 29.04.2017 को पारित ::

- 01- यह वाद एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा, ग्राम गोधन स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 123/09 रक्बा 2.000 हैक्टेयर भूमि जिसे निर्णय के आगे के चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, पर वादी ने अपना स्वत्व व आधिपत्य घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपना स्वत्व घोषित किये जाने की सहायता सहित दोनों पक्षों के द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 19अ6/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 को वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के हितों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने की सहायता के साथ वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत वाद आधार दस्तावेजों को एक दूसरों के हितों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता एवं विवादित भूमि पर एक दूसरे के स्वयं व अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप को निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने वाबत् प्रस्तुत किये गये।

- 02— दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि सुखनन्दन को मध्यप्रदेश शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई थी जिस पर सुखनन्दन को भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो गये थे, चूंकि वादी सुखनन्दन का सगा भाई था और सुखनन्दन उससे अत्यधिक प्रेम करता था, इसलिए उसने दिनांक 14.03.2000 को विवादित भूमि का वसीयतनामा उसके पक्ष में निष्पादित कर उसका विधिवत् पंजीयन कराया था। दिनांक 18.01.03 को बीमारी के पश्चात् सुखनन्दन का देहांत हो जाने पर वादी के द्वारा ही अन्त्योष्टि संस्कार किया गया। सुखनन्दन की मृत्यु के पश्चात् उसके स्वत्व की समस्त चल अचल संपत्ति हित वादी में निहित हो गये, जिसके आधार पर विवादित भूमि का वादी स्वत्व व आधिपत्यधारी है। दिनांक 31.07.04 को उक्त भूमि पर वादी का नामांत्रण भी स्वीकार हुआ है, परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 जो कि वादी का भतीजा है, ने सुखनन्दन की संपत्ति को हड़पने के लिये कूट रचित दस्तावेज की रचना कर ली तथा वादी के पक्ष में हुये नामांत्रण के विरुद्ध अपील भी प्रस्तुत की, जिससे वादी के पक्ष में हुआ नामांत्रण आदेश निरस्त होकर पुनः तहसीलदार चंदेरी को नामांत्रण आदेश पारित करने के लिये प्रत्यावर्तित किया गया। तहसीलदार चंदेरी द्वारा आदेश पारित किया गया जिसको दोनों पक्षों द्वारा अपील में चुनौती दिये जाने से प्रकरण पुनः प्रत्यावर्तित कर एम0डी0ओ0 न्यायालय से तहसीलदार चंदेरी को प्रत्यावर्तित किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.02.10 को वसीयतनामों की लिखा-पढ़ी संदिग्ध मानते हुये वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 के हित में आधे-आधे भाग पर नामांत्रण का आदेश कर दिया। जबकि प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रकरण में पक्षकारी नहीं था। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने दिनांक 30.03.10 को विवादित भूमि पर कब्जा करने तथा उसे बेचने की धमकी देने से वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात् यह वाद निर्णय के चरण क्रमांक 1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा अपने जबाब दावे में वाद पत्र के सभी अभिवचनों को अस्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के अनुसार विवादित भूमि को उसने काबिल कास्त बनाया है तथा वह ही जीवन भर अपने चाचा सुखनन्दन के साथ रहा है। वादी द्वारा सुखनन्दन को गुमराह कर धोखे में रखकर दिनांक 14.03.2000 को इच्छापत्र निष्पादित कराया है। विवादित भूमि की सुखनन्दन ने वसीयत नहीं की। वादी की ओर से प्रस्तुत वसीयत निवास के कमरे के संबंध में लिखी गई है जिसकी आड़ में गोधन की भूमि लिखवा ली गई है। वादी की ओर से प्रस्तुत वसीयत में अंकित संपत्ति वसीयतकर्ता के स्वामित्व के बाहर की है, जिससे यह दर्शित होता है कि वसीयतकर्ता द्वारा उक्त कथित वसीयत नहीं लिखा गई उन्हें धोखे में रख कर विवादित भूमि की वसीयत संपादित करायी गई, जिसके कारण वसीयतनामा शून्य होकर निरस्त भी हो गया। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 काबिज है तथा उक्त भूमि की वसीयत प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में संपादित की गई जो कि अंतिम वसीयत है। वादी के द्वारा मध्यप्रदेश शासन को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया तथा न्यायशुल्क भी कम अदा किया गया। अतः दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

- 04— प्रतिवादी क्रमांक 2 के द्वारा अपने जबाब दावे में वाद पत्र के सभी अभिवचनों को अस्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रमांक 2 के अनुसार वसीयतकर्ता और उसके पिता के मध्य पूर्व में ही बटवार हो चुका था जिसकी जानकारी उसे पूर्व से थी। वसीयतकर्ता अपने हिस्से से बहार की सम्पत्ति की वसीयत नहीं कर सकता था, परन्तु वादी ने उसे धोखे में रख कर वसीयत कराई है जो निरस्त किये जाने का निवेदन कर उसे हर्जा-खर्चा दिलाये जाने का निवेदन किया है।
- 05— प्रतिवादी क्रमांक 3 के द्वारा दावे के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये, विवादित भूमि संवत् 2013 में मध्यप्रदेश शासन की स्वत्व व आधिपत्य की होना बताया गया तथा उक्त भूमि का शासन द्वारा सुखनन्दन को पट्टे दिया जाना स्वीकार किया है। सुखनन्दन की मृत्यु के पश्चात् वादी तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि उक्त भूमि भरण पोषण के लिये पट्टे पर प्रदान की गई थी। तहसीलदार चंदेरी के द्वारा प्रकरण क्रमांक 19ए6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 25.02.10 पूरी तरह से वैध है। अतः दावा सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
- 06— प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि सुखनन्दन उसके चाचा थे, जो हमेशा उसे अपने साथ रखते थे। सुखनन्दन के जीवन पर्यन्त उसी ने उनकी सेवा की है, विवादित भूमि की वसीयत सुखनन्दन ने प्रतिवादी क्रमांक 2 से विचार-विमर्श उपरांत, जब प्रतिवादी क्रमांक 2 ने संपत्ति में कोई भी हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था, तो प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित की थी। सुखनन्दन के जीवन काल में ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विवादित भूमि पर कृषि की है और आज भी उक्त विवादित भूमि पर बटाई से खेती करा रहा है, सुखनन्दन की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि का स्वामित्वधारी है। वादी के मन में वध्यान्ति आने के कारण कमरे की वसीयत की आड़ में वादी ने सुखनन्दन को गुमराह करके विवादित भूमि की वसीयत लिखा ली है, जो कि वसीयतकर्ता के ज्ञान व इच्छा के विरुद्ध होकर अवैध एवं निरस्त योग्य है। वसीयत कर्ता ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 75000/- रुपये लेकर वादी को दिये थे और वादी को कमरा देकर संपत्ति का बराबर-बराबर भाग में वितरण कर दिया था तथा विवादित भूमि की वसीयत प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित की थी। वादी के द्वारा दिनांक 05.08.10 को न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने से प्रतिवादी क्रमांक 1 को वाद कारण उत्पन्न हुआ जिसके पश्चात् यह प्रतिदावा निर्णय के चरण क्रमांक 1 के वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।
- 07— वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रतिदावे का जबाब संक्षेप में इस प्रकार है कि सुखनन्दन की अनिल कुमार ने कोई सेवा नहीं की, और न ही इलाज कराया तथा मृत्यु के पश्चात् भी सुखनन्दन की अंत्योष्टि, तेरई आदि की कार्यवाही वादी के द्वारा ही की गई। सुखनन्दन के द्वारा अनिल कुमार के पक्ष में कोई वसीयतनामा नहीं

लिखा गया। अनिल कुमार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज वसीयतनामा की कोटि में नहीं आता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 का वाद ग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है और न ही वह नामांतरण कराने का अधिकार रखता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने यदि 75000/-रुपये दिये तो विवादित भूमि का विधिवत विक्रयपत्र का पंजीयन क्यों नहीं कराया। तहसील में वादी के द्वारा नामांतरण कार्यवाही किये जाने पर विवादित भूमि हड़पने के लिये प्रतिवादी क्रमांक 1 ने लिखा-पढी तैयार की है जो अपने आप में शून्य एवं निष्प्रभावी है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने व्यर्थ ही प्रतिदावा पेश किया है। अतः प्रतिदावा सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

08— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी ग्राम गोधन स्थित सर्वे क्र0 123/09 रकबा 2.000 हेक्टेयर भूमि का स्वत्व एवं अधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या वादी के विरुद्ध तहसीलदार चंदेरी द्वारा पारित नामांतरण आदेश वादी एवं प्रतिवादी क्र0 2 के पक्ष में किये जाने के कारण विधि विरुद्ध होने के कारण शून्य व निष्प्रभावी है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा प्रस्तुत लिखा पढी संबंधी दस्तावेज वादी के स्वत्व के विरुद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी होकर कूट रचित है ?	प्रमाणित है।
4.	क्या प्रतिवादीगण वादी की उक्त वादग्रस्त भूमि पर बिना किसी विधिक एवं स्वत्व अधिपत्य के अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं ?	प्रमाणित नहीं।
5.	क्या प्रतिवादी क्र0 1 वसीयत दिनांक 07.12.01 के प्रभाव से वाद ग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं अधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित नहीं।
6.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका 38 के अनुसार प्रदान की गयी।
7.	क्या वसीयतनामा दिनांक 14.03.2000 में वर्णित संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार वसीयतकर्ता सुखनन्दन को था ?	प्रमाणित नहीं।

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 09— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति रोकने के लिये उपरोक्त वाद प्रश्नों को कम परिवर्तित कर निम्नानुसार विवेचन एवं उनके निष्कर्ष दिया जा रहा है।

वाद क्रमांक-1 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 10— वादी के अनुसार विवादित भूमि सुखनन्दन को मध्यप्रदेश शासन द्वारा पट्टे पर प्रदान की गई थी तथा उक्त भूमि में मध्यप्रदेश शासन द्वारा सुखनन्दन को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने से उक्त भूमि सुखनन्दन के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि थी। वादी के अनुसार सुखनन्दन उसका सगा भाई था जिसने अपने जीवन काल में ही विवादित भूमि का वसीयत नामा उसके पक्ष में दिनांक 14.03.2000 को निष्पादित कर उसका पंजीयन कराया था तथा दिनांक 08.01.2003 को सुखनन्दन की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि उसके स्वत्व व स्वामित्व व आधिपत्य की हो गई थी, जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 के अनुसार दिनांक 14.03.2000 को सुखनन्दन के द्वारा वादी के पक्ष में जो वसीयत किया जाना बताया गया है, वो वादी ने सुखनन्दन को धोखे में रखकर कराया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के अनुसार सुखनन्दन ने अपने जीवन काल में विवादित भूमि की एक मात्र वसीयत प्रतिवादी क्रमांक 1 को की है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के अनुसार उसने वसीयतकर्ता के जीवन काल में ही विवादित भूमि पर कृषि की है तथा आज भी बटाई पर खेती करा रहा है तथा उक्त भूमि पर वादी का कभी आधिपत्य नहीं रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के समर्थन में प्रतिवादी क्रमांक 2 ने भी अपने अभिवचनों में वसीयत नामा दिनांक 14.03.2000 को फर्जी बताया है तथा विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का ही आधिपत्य होना बताया है।
- 11— प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि मृतक सुखनन्दन को विवादित भूमि शासन के पट्टे पर प्राप्त हुई थी, इस तथ्य को सभी पक्ष स्वीकार करते हैं तथा मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिवचनों में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 दोनों ही अपने अपने अभिवचनों में सुखनन्दन के द्वारा विवादित भूमि का अपने अपने पक्ष में वसीयत नामा निष्पादित किया जाना अपने अभिवचनों में बताते हैं तथा दोनों ही पक्ष एक दूसरे के वसीयतनामों को फर्जी होना अपने अभिवचनों में कहते हैं। प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने उक्त वसीयतनामों प्रस्तुत किये गये हैं। वादी महेश कुमार की ओर से प्रकरण में प्रदर्श पी 2 का वसीयत नामा मूल प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त वसीयत नामा क्षतिग्रस्त होने से उसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 1 के रूप में प्रकरण में प्रस्तुत की है। वहीं प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से भी अपने समर्थन में प्रदर्श डी 6 का वसीयतनामा प्रस्तुत किया है जिस पर प्रदर्श अंकित करने पर अनिल कुमार की साक्ष्य के दौरान

वादी अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई की, की प्रस्तुत वटबारानामा एवं वसीयतनामा प्रदर्श पी 6 व 7 पंजीकृत दस्तावेज नहीं है तथा वसीयतनामा, वसीयतनामों की श्रेणी में नहीं आता है।

- 12— वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी अनिल कुमार की साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत प्रदर्श डी 6 व 7 की आपत्ति सुरक्षित रखी गई थी, जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार वसीयतनामा या बटवारानामा के दस्तावेजों का उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत पंजीयन होना आवश्यक नहीं है अतः ऐसे में प्रदर्श डी 6 व 7 के दस्तावेजों का पंजीयन न होने से उनकी साक्ष्य में ग्राहता पर कोई आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है जहां तक वादी अधिवक्ता की दूसरी आपत्ति का प्रश्न है तो उक्त आपत्ति इस आधार पर की गई है कि प्रदर्श डी 6 के वसीयतनामों में 75000/- रुपये राशि वादी महेश को दे चुका है, जिससे उक्त दस्तावेज वसीयतनामा न होकर विक्रयपत्र की श्रेणी में आता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श डी 6 में निश्चित रूप से 75000/- रुपये की राशि महेश को दी जाने का उल्लेख है जो कि विक्रयमूल्य की रूप में या प्रतिफल राशि के रूप में सुखनन्दन द्वारा अनिल कुमार से प्राप्त की गई ऐसा कोई उल्लेख प्रदर्श डी 6 में नहीं है जिससे प्रदर्श डी 6 का दस्तावेज विक्रयपत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रदर्श डी 6 व 7 के दस्तावेजों को प्रदर्शित करने के संबंध में तथा उन्हें साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने के संबंध में वादी अधिवक्ता की आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
- 13— वादी महेश कुमार तथा प्रतिवादी अनिल कुमार का विवादित भूमि पर स्वत्व का आधार उनकी ओर से प्रस्तुत अभिवचन एवं सशपथ कथनों के अनुसार उनके पक्ष में निष्पादित क्रमशः वसीयतनामा प्रदर्श पी 1 व 2 एवं प्रदर्श डी 6 जो कि प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं। वसीयतनामा अपने आप में संपत्ति के व्ययन का निश्चायक प्रमाण नहीं होता है, बल्कि उसका साबित किया जाना वसीयत ग्राहता से आपेक्षित होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत प्रत्येक वसीयत का अनुप्रमाणन होना आवश्यक होता है तथा जिसे उक्त वसीयतनामों के निष्पादन को साबित करने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी की साक्ष्य से प्रमाणित करना आवश्यक होता है।
- 14— किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणन किस प्रकार साबित होगा इसका उल्लेख संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में अनुप्रमाणन की परिभाषा में किया गया है, जिसके अनुसार:— किसी लिखत के संबंध में "अनुप्रमाणित" से ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा। जिसमें से हर एक ने निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा है या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करने देखा है; या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह

की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति पाई है और जिसमें से हर एक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किये हैं। किन्तु यह आवश्यक न होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक से अधिक एक ही समय उपस्थित रहे हों और अनुप्रमाणन को कोई विशिष्ट प्ररूप आवश्यक न होगा।

- 15— वादी महेश कुमार की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श पी 1 जो कि वसीयत की सत्य प्रतिलिपि है एवं प्रदर्श पी 2 जो कि मूल वसीयत है, के अनुप्रमाणक साक्षी राजेन्द्र कुमार लिटोरिया निवासी फतेहाबाद व रशीद खां निवासी चंदेरी हैं, जिनमें से वादी की ओर से उक्त वसीयतनामों को साबित करने के लिये रसीद खां (वा0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये। रसीद खां (वा0सा0-2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन दिये हैं कि वह सुखनन्दन एवं वादी महेश कुमार को जानता है, जो उन्ही की बस्ती में निवास करते हैं। इस साक्षी का कहना है कि सुखनन्दन ने वादी महेश कुमार के पक्ष में प्रदर्श पी 1 कि वसीयत की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसने गवाह के तौर पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 16— रसीद खां (वा0सा0-1) अपने मुख्यपरीक्षण में सुखनन्दन द्वारा महेश कुमार के पक्ष में वसीयत प्रदर्श पी 1 किया जाना तथा उस पर गवाही के तौर पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किया है, परन्तु इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कही स्पष्ट नहीं किया है कि सुखनन्दन ने वास्तव में महेश कुमार के पक्ष में किस दिनांक को किस संबंध में प्रदर्श पी 2 की वसीयत निष्पादित की थी। इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में भी कोई कथन नहीं दिये हैं कि वास्तव में सुखनन्दन ने एवं अन्य अनुप्रमाणक साक्षी राजेन्द्र लिटोरिया ने प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर उसके सामने नहीं किया थे अथवा नहीं या उसने एवं अन्य अनुप्रमाणक साक्षी ने सुखनन्दन के निर्देश पर सुखनन्दन के समक्ष हस्ताक्षर किये थे या नहीं।
- 17— रसीद खां (वा0सा0-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन दिये हैं कि हस्ताक्षर करने के लिये उसे महेश (वा0सा0-1) बुलाने आया था तथा हस्ताक्षर करते समय वहां पर एक लडका जिसका नाम चौबे, वह स्वयं एवं उदय नारायण (वा0सा0-1) मौजूद थे तथा इस साक्षी का कहना है कि उपरोक्त तीनों लोगों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। उदय नारायण (वा0सा0-1) जो कि प्रदर्श पी 2 का लेखक हैं, उसे यह साक्षी मौके पर तो उपस्थित होना बताता है परन्तु रसीद खां (वा0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 2 किसने लिखा है, यह उसे पता नहीं है। रसीद खां (वा0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कहता है कि वसीयतनामा किस बात के लिये लिखा गया, उसे इसकी जानकारी नहीं है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में इस साक्षी का कहना है कि सुखनन्दन एवं महेश (वा0सा0-3) ने उसे यह नहीं बताया था कि किस चीज की वसीयत हो रही है। रसीद खां (वा0सा0-2) का अपने प्रतिपरीक्षण में ही स्पष्ट कहना है कि उसने रजिस्ट्रार कार्यालय में हस्ताक्षर किये थे तथा अन्य कोई कार्यवाही

उसके सामने नहीं हुई। इसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में यह कहना है कि सुखनन्दन ने उसके सामने वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किये थे।

- 18— रसीद खां (वा0सा0-2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श पी 2 पर उसके सामने वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर नहीं किये उसके सामने वसीयत नहीं लिखी गई, वसीयत में क्या लिखा है, उसे उसकी जानकारी नहीं है, अन्य अनुप्रमाणक राजेन्द्र लिटौरिया ने उसके सामने व सुखनन्दन के निर्देश पर प्रदर्श डी 2 पर हस्ताक्षर किये इस संबंध में इस साक्षी ने कोई कथन नहीं दिये अतः रसीद खां (वा0सा0-2) के कथनों से प्रदर्श डी 2 का विधिवत् अनुप्रमाणन साबित नहीं होता है तथा इस साक्षी के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि सुखनन्दन ने इस साक्षी के समक्ष विवादित भूमि संबंध में महेश कुमार (वा0सा0-3) के पक्ष में वसीयत की थी।
- 19— प्रदर्श डी 2 के लेखक उदय नारायण वबेले (वा0सा0-1) के कथन वादी की ओर से अपने समर्थन में कराये गये जिनका अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि प्रदर्श पी 1 का दस्तावेज उसके द्वारा दिनांक-13.03.2000 को सुखनन्दन के कहने पर लिखा गया था तथा उक्त दस्तावेज को लिखे जाने के पश्चात् अनुप्रमाणक साक्षी राजेन्द्र लिटौरिया व रसीद खां (वा0सा0-2) ने इस संबंध में गवाही दी थी। उदय नारायण (वा0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 1 का साक्षी रसीद खां (वा0सा0-2) तहसील में ही चपरासी है तथा अनुप्रमाणक साक्षी राजेन्द्र लिटौरिया उसके पास काम सिखने के लिये एक-दो साल बैठा था। अतः इस साक्षी के कथनों से स्पष्ट है कि वसीयत के दोनों ही साक्षी उसके पूर्व के परिचित होकर उसे तहसील में ही उपलब्ध हो गये थे।
- 20— उदय नारायण (वा0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में उपरोक्त अनुप्रमाणक साक्षियों के एवं वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर अपने सामने कराना बताता है जबकि स्वयं अनुप्रमाणक साक्षी रसीद खां (वा0सा0-2) रजिस्ट्रार कार्यालय में हस्ताक्षर करना बताता है तथा वसीयत किसके द्वारा लिखी गई, इसकी जानकारी होने से ही इन्कार करता है। यदि उदय नारायण (वा0सा0-1) के द्वारा अपने समक्ष ही अनुप्रमाणक साक्षियों सहित वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर कराये गये थे, यदि ऐसा होता तो इसकी जानकारी निश्चित रूप से अनुप्रमाणक साक्षी रसीद खां (वा0सा0-2) को होती, परन्तु स्वयं रसीद खां (वा0सा0-2) अपने कथनों में रजिस्ट्रार कार्यालय में हस्ताक्षर करने के संबंध में कथन दिये है तथा अपने सामने सुखनन्दन द्वारा हस्ताक्षर न किया जाना बताया है एवं दस्तावेज किसके द्वारा लिखा गया इसकी जानकारी होने से ही इन्कार किया है। अतः उदय नारायण (वा0सा0-1) एवं रसीद खां (वा0सा0-2) के कथनों में प्रदर्श पी 2 की वसीयत के निष्पादन के संबंध में दिये गये कथनों में कोई तालमेल नहीं है तथा दोनों ही साक्षियों के कथन एक दूसरे के विरोधाभासी हैं।

- 21— वादी की ओर से प्रकरण में उप-पंजीयक उल्लास नाकरे (वा0सा0-4) के कथन न्यायालय में कराये गये, जिसने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि प्रदर्श पी 2 का दस्तावेज उप-पंजीयक के कार्यालय में है अतः उप-पंजीयन होने के संबंध में इस साक्षी ने न्यायालय में कथन दिये हैं। यह उल्लेखनीय है कि दस्तावेज का मात्र पंजीयन होना उसकी सत्यता का प्रमाण नहीं होता है, और वैसे भी वसीयत के दस्तावेज का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। मात्र प्रदर्श डी 2 के दस्तावेज का पंजीयन होने से उक्त दस्तावेज साबित नहीं होता है। बल्कि कोई वसीयत मात्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 एवं 68 के प्रावधान अनुसार ही साबित हो सकती है। इस प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत अनुप्रमाणक साक्षी रसीद खां (वा0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये जाने से साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत प्रदर्श पी 2 की वसीयत तो साक्ष्य में ग्राह्य है, परन्तु इस साक्षी के कथनों से संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वसीयत का विधिवत् अनुप्रमाणन साबित नहीं होता है। वादी की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि प्रदर्श पी 2 पर सुखनंदन के हस्ताक्षर हैं। जिससे वादी प्रदर्श डी 2 की वसीयत को विधिवत प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है।
- 22— यह उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से प्रदर्श पी 2 की वसीयत के साथ उसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 2 प्रकरण में प्रस्तुत की गई, परन्तु मूल और सत्यप्रतिलिपि में ही काफी अन्तर है, उक्त अन्तर दोनों दस्तावेजों को प्रत्यक्ष देखने से ही स्पष्ट होता है। वसीयत प्रदर्श पी 2 एवं प्रदर्श पी 1 के प्रथम पृष्ठ पर तथाकथित सुखनन्दन के हस्ताक्षर में ही काफी अन्तर है तथा उक्त दस्तावेजों के डी से डी भाग की बढाई गई इभारत पर सुखनंदन के हस्ताक्षरों में भिन्नता है, जो कि एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये प्रतीत नहीं होती है।
- 23— उपरोक्त आधार पर इस संबंध में कोई संदेह नहीं रहा जाता है कि प्रदर्श डी 2 की लिखा-पढी एवं प्रदर्श डी 1 लिखा-पढी भले एक हो परन्तु उन पर सुखनन्दन के हस्ताक्षरों के तरीके में अंतर हैं, जो कि एक सामान्य सी त्रुटि न होकर दोनों दस्तावेजों की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना देती है, क्योंकि उक्त दोनों दस्तावेजों पर सुखनन्दन के हस्ताक्षर अलग-अलग हैं, जबकि वादी के अनुसार सुखनन्दन द्वारा उसके पक्ष में एक ही वसीयत निष्पादित की गई थी। यदि सुखनन्दन के द्वारा एक ही वसीयत निष्पादित की गई है तो उप-पंजीयक कार्यालय की प्रति प्रदर्श पी 1 एवं प्रदर्श डी 2 में सुखनंदन के हस्ताक्षरों में अन्तर नहीं होता। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी 2 का वसीयत नामा एवं रजिस्ट्रार कार्यालय में मौजूद प्रदर्श पी 1 का वसीयत नामा संदिग्ध प्रतीत होता है, तथा उक्त वसीयत विधिवत् रसीद खां (वा0सा0-2) के कथनों से भी साबित नहीं होती है। अतः अभिलेख पर आई एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुखनंदन द्वारा वादी के पक्ष में विवादित भूमि की वसीयत किया जाना प्रमाणित न होने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी अकेला ही ग्राम गोधन स्थित विवादित भूमि का स्वत्व व आधिपत्य धारी है। अतः वाद प्रश्न

क्रमांक 1 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद क्रमांक-5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 24- प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से अपने अभिवचनों में सुखनन्दन द्वारा उसके पक्ष में विवादित भूमि की वसीयत किया जाना बताया है परन्तु अभिवचनों में यह कही भी स्पष्ट नहीं किया गया कि वसीयत उसके पक्ष में सुखनन्दन ने किस दिनांक को किन साक्षियों के समक्ष निष्पादित की थी। अनिल कुमार ने हालांकि अपने सशपथ कथनों में अपने पक्ष में दिनांक 07.12.2001 को विवादित भूमि की वसीयत किया जाना बताया है परन्तु उक्त भूमि वसीयत सुखनन्दन ने किन साक्षियों के समक्ष की इसका उल्लेख अपने कथनों में नहीं किया। अनिल कुमार की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में सुखनन्दन द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित की गई कथित वसीयत प्रदर्श डी 6 प्रकरण में प्रस्तुत की है तथा उक्त वसीयत को प्रमाणित करने के लिये वसीयत के अनुप्रमाणक साक्षी सतपाल सिंह एवं रामसिंह (प्र0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 25- सतपाल सिंह (प्र0सा0-4) एवं रामसिंह (प्र0सा0-3) दोनों ही अपने कथनों में यह स्वीकार करते हैं कि वसीयत किस दिनांक को लिखी गई इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। सतपाल सिंह (प्र0सा0-4) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि वसीयत उसके सामने नहीं लिखी गई तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में इस साक्षी का यह भी कहना है कि न तो वसीयत उसके सामने पढ़ सुनाई गई न ही उसने वसीयत पढ़ी है तथा वसीयत में उल्लेखित रूपयों की भी बातचीत उसके सामने नहीं हुई। रामसिंह (प्र0सा0-3) भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में यह कहता है कि वसीयतनामा किसने लिखा है उसे याद नहीं है तथा इस साक्षी का कहना है कि उसके सामने कोई लेखदेन नहीं हुआ यदि वसीयत नामा में इसका उल्लेख हो तो उसे याद नहीं है।
- 26- सतपाल सिंह (प्र0सा0-4) अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहता है कि वसीयत सुखनन्दन ने पढ़कर बतायी थी, परन्तु यही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं ही इस बात का खण्डन करता है। इसी प्रकार रामसिंह (प्र0सा0-3) भी अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहता है कि सुखनन्दन ने उसके सामने खुद बोलकर अनिल कुमार (प्र0सा0-1) के हित में लिखवाई थी, परन्तु यह साक्षी भी अपने प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त कथनों का स्वयं ही खण्डन करते हुये कहता है कि वसीयतनामा किसने लिखा व किस दिनांक व समय एवं मौसम को लिखा गया, यह उसे याद नहीं है। इन दोनों ही साक्षियों के कथनों में उत्पन्न हुआ विरोधाभास मामूली न होकर तात्त्विक स्वरूप का है क्योंकि यदि वास्तव में सुखनन्दन के द्वारा इनके समक्ष कोई वसीयत की गई होती तो निश्चित रूप से यह दोनों यह बताने की स्थिति में होते कि वसीयत किस दिनांक व समय को व किसके द्वारा लिखी गई क्योंकि वसीयत प्रदर्श डी 6 हस्तलिखित है।

- 27— सतपाल सिंह (प्र0सा0-4) अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्वीकार करता है कि प्रदर्श डी 6 के दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसके साथ राम सिंह (प्र0सा0-3) ने भी हस्ताक्षर किये थे, परन्तु इस साक्षी के कथनों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि वास्तव में सुखनन्दन ने उसके सामने प्रदर्श डी 6 पर हस्ताक्षर किये थे या नहीं तथा सुखनन्दन के निर्देश पर रामसिंह (प्र0सा0-3) ने उसके सामने हस्ताक्षर किये थे अथवा नहीं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कहना है कि उसे याद नहीं है कि उसने अन्य लोगों के हस्ताक्षरों के बाद हस्ताक्षर किये थे या पहले किये थे इस साक्षी को न तो वसीयत के संबंध में जानकारी है और न ही उसे यह जानकारी है कि उसने हस्ताक्षर कब किये थे अतः सतपाल सिंह (प्र0सा0-4) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से विधिवत् वसीयत का निष्पादन साबित नहीं होता है।
- 28— वसीयत के दूसरे अनुप्रमाणक साक्षी रामसिंह (प्र0सा0-3) के कथन भी सतपाल सिंह (प्र0सा0-4) के कथनों के समान ही वसीयत प्रदर्श डी 6 का निष्पादन साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस साक्षी को भी प्रदर्श डी 6 की वसीयत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह साक्षी अपने मुख्यपरीक्षण में एक ओर यह कहता है कि सुखनन्दन उसके सामने वसीयत बोल कर लिखवाई थी, परन्तु यही साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में यह कहता है कि वसीयत किसने लिखी उसे याद नहीं है। इसी प्रकार एक ओर यह साक्षी मुख्यपरीक्षण में दिनांक 07.12.01 को अपने सामने वसीयतनामा लिखना होना बताता हैं तथा सुखनन्दन के द्वारा अपने सामने हस्ताक्षर किया जाना एवं स्वयं भी वसीयत पर हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में कथन देता है, तो वही दूसरी ओर प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में इस साक्षी का यह कहना है कि वसीयतनामों पर उसके अलावा सतपाल (प्र0सा0-4) ने हस्ताक्षर किये थे तथा इसके अलावा किसी ने हस्ताक्षर नहीं किये। अतः इस साक्षी के द्वारा दिये गये विरोधाभासी कथनों पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है तथा इस साक्षी के कथनों से विधिवत् वसीयत का अनुप्रमाणन साबित नहीं होता है।
- 29— यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श डी 6 की वसीयत के स्टाम्प की क्रय दिनांक 22.04.2001 उल्लेखित है जबकि वसीयत का निष्पादन दिनांक 07.12.2001 है जो कि आठ महीने बाद की अवधि है। स्टाम्प क्रय करने के बाद आठ माह पश्चात् प्रदर्श डी 6 की वसीयत के निष्पादन में हुआ विलंब को भी प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि सुखनन्दन की मृत्यु के पश्चात् इस वसीयत के आधार पर विवादित भूमि पर नामांत्रण कराने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा वादी के द्वारा की गई नामांत्रण कार्यवाही के बाद भी प्रदर्श डी 6 की वसीयत के अस्तित्व में होने की जानकारी हुई जो कि निश्चित रूप से प्रदर्श डी 6 की सत्यता को संदिग्ध बनाने लिये पर्याप्त है। वसीयत की सत्यता पर संशय की स्थिति को दूर करने का भार वसीयत ग्रहता पर होता है परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से इस संबंध में कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण न तो अभिवचनों में दिया गया और न ही साक्ष्य के द्वारा दिया गया। अतः उपरोक्त आधार प्रदर्श डी 6 की वसीयत

को प्रतिवादी क्रमांक 1 साबित करने में सफल नहीं हुआ। जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी क्रमांक 1 को उक्त वसीयत दिनांक 07.12.2001 जो कि प्रदर्श डी 6 है, से विवादित भूमि पर कोई स्वत्व एवं आधिपत्य के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 5 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद क्रमांक-3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 30- उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से वादी की ओर से प्रस्तुत वसीयत प्रदर्श पी 1 व पी 2 एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर प्रस्तुत वसीयत प्रदर्श डी 6 को दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी साक्ष्य से साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। उपरोक्त दोनों ही वसीयतों के प्रमाणित न होने से वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 किसी को भी विवादित भूमि में उक्त वसीयतों के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे दोनों पक्षों की ओर विवादित भूमि पर अपना स्वत्व साबित करने के लिये प्रस्तुत वसीयत एक-दूसरे के हितों के मुकाबलें शून्य एवं निष्प्रभावी हो जाते हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 3 प्रमाणित होने से उसका निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

वाद क्रमांक-4 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 31- वादी महेश का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि सुखनन्दन उसका सगा भाई था तथा सुखनन्दन के जीवन काल से ही वह उनके साथ रहकर उनकी सेवा कर रहा था, जिसके कारण उसके पक्ष में सुखनन्दन ने विवादित भूमि का वसीयत नामा प्रदर्श पी 2 निष्पादित किया था। वादी का विवादित भूमि पर अपना आधिपत्य होने के संबंध में कोई कथन अपने मुख्यपरीक्षण में नहीं दिये गये, जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी अनिल कुमार (प्र0सा0-1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि पर वह सुखनन्दन के जीवन काल से ही कृषि करता आ रहा था। इस साक्षी का कहना है कि वह लगभग 35 वर्षों से विवादित भूमि का आधिपत्यधारी है तथा इस साक्षी के अनुसार उसने वर्ष 1988 में विवादित भूमि पर सुखलाल से बटाई पर खेती करायी थी तथा बाद में उसका लडका परसू (प्र0सा0-2) से बटाई पर खेती करा रहा है।
- 32- विवादित भूमि पर अपना आधिपत्य साबित करने के लिये प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से परसू (प्र0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये, जिसने इस बात की पुष्टि की है कि उसके पिता विवादित भूमि अनिल कुमार (प्र0सा0-1) से बटाई पर लेते थे तथा उसके बाद वह स्वयं विवादित भूमि पर बटाई से खेती कर रहा है। इस साक्षी के उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में अखण्डित रहे हैं। अनिल कुमार

(प्र0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह अखण्डित साक्ष्य दी है कि उसने दो साल विवादित भूमि पर सुसराल वालों से कृषि करायी थी तथा उसके बाद परसू (प्र0सा0—2) विवादित भूमि पर कृषि कर रहा है। विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य है इस संबंध में वादी ने कोई कथन नहीं दिये है, बल्कि अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के साले खेती करा रहे हैं, जो उसे उक्त भूमि पर घुसने नहीं देते हैं। वादी स्वयं ही अपने प्रतिपरीक्षण कण्डिका 20 में स्वीकार किया है कि उसने विवाद ग्रस्त भूमि पर कभी खेती नहीं है तथा सुखनन्दन की मृत्यु के बाद अनिल (प्र0सा0—1) ही खेती कर रहे हैं। अतः वादी के उपरोक्त कथनों से उसका विवादित भूमि पर आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं है।

- 33— यहां यह उल्लेखनीय है कि भले ही वादी ने विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का आधिपत्य होना स्वीकार किया है परन्तु स्वयं प्रतिवादी क्रमांक 1 विवादित भूमि पर विधिवत् अपने आधिपत्य का आधार प्रदर्श डी 6 की वसीयत को प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ। प्रतिवादी क्रमांक 1 का विवादितग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होना तो अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित है परन्तु उक्त आधिपत्य वैद्य रूप से यह साबित करने के लिये अभिलेख कोई भी विश्वसनीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि वादी का विवादित भूमि पर विधिवत् स्वत्व एवं आधिपत्य दोनों ही प्रमाणित नहीं है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 के आधिपत्य को उसने स्वयं स्वीकार किया है इसलिए यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण उसके स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। **अतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।**

वाद क्रमांक—7 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 34— वादी के अनुसार विवादित भूमि सुखनन्दन को शासन से पट्टे पर प्राप्त हुई थी तथा शासन द्वारा उक्त भूमि पर सुखनन्दन को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये गये थे। विवादित भूमि सुखनन्दन को शासन से पट्टे पर प्राप्त हुई थी, इसको प्रतिवादी पक्ष की ओर से भी कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में यह स्वीकार किया गया है कि मध्यप्रदेश शासन ने विवादित भूमि का पट्टा सुखनन्दन को प्रदान किया था। यह उल्लेखनीय है कि पट्टे पर प्राप्त हुई भूमि पट्टेदार को मध्यप्रदेश भू-राजस्व की संहिता की धारा 158 (3) के तहत अंतरित करने का अधिकार तब तक उत्पन्न नहीं होता है कि जब तक की पट्टेदार को शासन द्वारा भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान न कर दिये गये हैं। भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त होने के बाद भी पट्टेदार विधिवत् भूमि विक्रय कर सकता है।

- 35— वर्तमान प्रकरण में वादी ने विवादित भूमि सुखनन्दन को पट्टे पर प्राप्त होकर शासन द्वारा उसे भूमि स्वामी स्वत्व देने के संबंध में अभिवचन किये हैं परन्तु शासन ने सुखनन्दन को भूमि पट्टे पर कब प्रदान की इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रकरण में सुखनन्दन के पक्ष में जारी पट्टा प्रस्तुत नहीं है और न ही अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभिवचनों में यह स्पष्ट किया गया है कि शासन ने सुखनन्दन को भूमि स्वामी स्वत्व कब प्रदान की है। वादी की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख वर्ष 2011 व 12 प्रदर्श पी 4 व 5 एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत खतौनी व खसरा वर्ष 2009-10 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी 1 व 2 में कब्जेदार के रूप में सुखनन्दन का नाम दर्ज है परन्तु उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि सुखनन्दन को शासन ने भूमि स्वामी स्वत्व दिये थे। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो साबित है कि विवादित भूमि का पट्टा सुखनन्दन को शासन द्वारा दिया गया, परन्तु उक्त भूमि पर शासन ने सुखनन्दन को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये यह अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है। अतः यदि सुखनन्दन के विवादित भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व होना प्रमाणित नहीं है तो उक्त भूमि सुखनन्दन के द्वारा या उसके पश्चात् अंतरित नहीं हो सकती है। अतः सुखनन्दन को विवादग्रस्त भूमि की वसीयत करने का अधिकार था, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से साबित नहीं होता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 7 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद क्रमांक-2 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 36— वादी के अभिवचनों के अनुसार दिनांक 31.07.2004 को विवादित भूमि पर उसका नामांतरण स्वीकार कर उसके नाम की प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड में कर दी गई थी परन्तु उक्त आदेश बाद में तहसीलदार चंदेरी ने वसीयतनामें एवं लिखा-पट्टी को संदिग्ध मानते हुये पूर्व आदेश को दिनांक 25.02.2010 को परिवर्तित कर वादी के हित में एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 के हित में आधे आधे भाग पर विवादित भूमि का नामांतरण कर दिया, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 2 ने कभी नामांतरण नहीं चाहा। वादी की ओर से उक्त आदेश को अपने अभिवचनों में चुनौती दी गई तथा उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 3 प्रकरण में प्रस्तुत की गई।
- 37— विवादित भूमि संबंध में पूर्व में वादी का नामांतरण स्वीकार होकर बाद में प्रदर्श पी 3 के आदेश से विवादित भूमि पर वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम बराबर भागों में दर्ज हुआ, इस संबंध में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। प्रदर्श पी 3 के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार चंदेरी ने नामांतरण के दौरान सुखनन्दन की वसीयतों को फर्जी मानते हुये उत्तराधिकार के आधार पर वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 जो कि सुखनन्दन के सगे भाई है का आधे आधे भाग पर नामांतरण स्वीकार किया है। वर्तमान प्रकरण में भी वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 प्रदर्श पी

2 एवं प्रदर्श डी 6 की वसीयत को साबित करने में भी सफल नहीं हुये हैं अतः विवादित भूमि पर वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का एक मात्र स्वत्व व आधिपत्य साबित नहीं है। यदि वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक दोनों ही विवादित भूमि पर अपना-अपना एक मात्र दावा साबित करने में सफल नहीं हुये हैं तो तहसीलदार के द्वारा उत्तराधिकार के आधार पर विवादित भूमि पर किये गये वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 के पक्ष में हुये नामांतरण को चुनौती देने का कोई आधार दोनों पक्षों के पास नहीं है। अतः तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 19अ6/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 विधि विरुद्ध होकर वादी के विरुद्ध होने से शून्य एवं निष्प्रभावी है, यह साबित करने में वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर सफल नहीं हुआ है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

वाद क्रमांक-6 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

सहायता एवं वाद व्यय-

- 38- वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवादित भूमि पर अपना-अपना दावा प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 दोनों ही पक्ष विवादित भूमि के संबंध में अपनी-अपनी ओर से प्रस्तुत वसीयत को जहाँ विधिवत् साबित नहीं कर सके, वहीं सुखनंदन को शासकीय पट्टे पर प्राप्त विवादित भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये थे तथा उसे विवादित भूमि अंतरित करने का अधिकार प्राप्त था, यह भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित नहीं होता है। वादी तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 19अ6/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 के संबंध में भी ऐसी कोई विश्वशनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ है जिसके आधार पर उक्त आदेश विधि विरुद्ध प्रतीत होता है। जिसको परिणाम स्वरूप वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा दोनों ही प्रमाणित न होने के कारण निरस्त किये जाते हैं, तथा निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

01:- यह वाद एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:- वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:- अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।
तदनुसार डिक्री की रचना की जावें।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.